



आजादी प्राप्ति के पश्चात् महिला शिक्षा का विकास

मो0 अंसार आलम अंसारी

शोध अध्येता – एम0 एड0, यू0जी0सी0 नेट (शिक्षाशास्त्र) शिक्षाशास्त्र विभाग,
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार), भारत

Received- 19.07.2020, Revised- 21.07.2020, Accepted - 23.07.2020 E-mail: dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : स्वतन्त्र भारत में स्त्री शिक्षा का विकास— भारत में स्त्री शिक्षा की शुरुआत यूँ तो प्राचीन काल में ही हो गई थी परन्तु इसके प्रति जागृति आधुनिक युग में आकर हुई। आधुनिक युग में भी इस क्षेत्र में हमारा सर्वप्रथम मार्गदर्शन ईसाई मिशनरी रेवरेण्डम ने किया, उसने 1818 में चिनपुरा में अलग से बालिका विद्यालय की स्थापना की। उनसे प्रेरणा पाकर भारतीयों ने इस इस दिशा में कदम उठाए। इस सन्दर्भ में राजाराम मोहनाराय और ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के नाम उल्लेखनीय हैं। तत्पश्चात् बुड घोषणा पत्र (1854) एवं हण्टर कमीशन (1882) ने भी स्त्री शिक्षा के प्रसार का सुझाव दिया, परन्तु कुल मिलाकर अंग्रेजी शासन काल में स्त्री शिक्षा की प्रगति बहुत कम हुई। जिस समय 1947 में अंग्रेज भारत से गए उस समय लगभग 43 लाख बालिकाएँ ही अध्ययनरत थी और देश में स्त्री साक्षरता लगभग 6 प्रतिशत थी। भारत में स्त्री शिक्षा की प्रगति अपने सही अर्थों में स्वतन्त्र भारत में शुरू हुई।

कुंजीभूत शब्द— मिरानरी, स्थापना, प्रेरणा, भास्तीयों, कदम, सन्दर्भ, शिक्षा के प्रसार, सुझाव, अध्ययनरत ।

स्वतन्त्र भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए सर्वप्रथम 1948 में राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति की गई। यूँ इसका कार्यक्षेत्र केवल उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव देने तक सीमित था, परन्तु इसने कुछ सामान्य सुझाव भी दिए। स्त्री शिक्षा के संबंध में इसके मुख्य सुझाव थे— स्त्रियों के लिए शिक्षा के अधिक अवसर सुलभ कराए जाए, बालिकाओं के लिए उनकी रुचि और आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम तैयार किए जाएँ और उनके लिए शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की उचित व्यवस्था की जाए। अब भारत में स्त्री शिक्षा के प्रसार का कार्य योजनाबद्ध शुरू हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में स्त्री शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गया। इस योजना के दौरान 1952 में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु सुझाव दिया कि बालिकाओं के पाठ्यक्रम में गृहविज्ञान, गृहशिल्पों और गृह उद्योगों को स्थान दिया जाए। परिणामस्वरूप स्त्री शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ उसमें सुधार की प्रक्रिया भी शुरू हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) में स्त्री शिक्षा के प्रसार के साथ अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 1958 में केन्द्रीय सरकार ने श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति' का गठन किया। इस समिति ने फरवरी 1959 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने स्त्री शिक्षा के संबंध में मुख्य सुझाव दिया कि इसके प्रचार एवं प्रसार का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार स्वयं ले, स्त्री पुरुषों की शिक्षा

में वर्तमान विषमताओं को दूर किया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किए जाएँ। देशमुख समिति के सुझाव पर 1959 में केन्द्र में 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद्' (National Council for Women Education) का गठन किया गया और देश में स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में नीति एवं योजना बनाने का कार्य सौंपा गया। इसके निर्देशन में स्त्री शिक्षा के विकास को विशेष गति मिली। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत छात्राओं की संख्या 1951 की लगभग 60 लाख से बढ़कर 1964 में लगभग 140 लाख हो गई। 1961 में तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) शुरू हुई। इस योजना के अन्तर्गत 1962 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् (NCWE) ने श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में, स्त्री शिक्षा के पुनर्गठन हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया। इसे 'हंसा मेहता समिति' (Hansa Mehtaa Committee) कहा जाता है। इस समिति ने स्त्री शिक्षा के संबंध में चार मुख्य सुझाव दिए—

1. प्राथमिक स्तर पर लड़के-लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम होना चाहिए।
2. माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए।
3. बालिकाओं के लिए अलग से व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
4. किसी भी स्थिति में बालक- बालिकाओं की शिक्षा में बहुत अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए।



उसी समय 1963 में 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद' ने श्री भक्तवत्सलम् की अध्यक्षता में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा के पुनर्गठन हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा के प्रसार के लिए जन सहयोग प्राप्त करने का सुझाव दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही इन सुझावों पर अमल शुरू कर दिया था। परिणाम स्वरूप इसमें सन्तोषजनक प्रसार हुआ। 1964 में पूर्व प्राथमिक स्तर पर 1,22,962, प्राथमिक स्तर पर 1,66,30,091, माध्यमिक स्तर पर 13,26,173, इण्टरमीडिएट स्तर पर 4,53,835, स्नातक स्तर पर 1,44,961, परास्नातक स्तर पर 15,624 और शोध कार्य में 1,217 छात्राएँ अध्ययनरत थी। उसी समय 1964 में भारतीय शिक्षा पर समग्र रूप में सुझाव देने के लिए कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की। इसने स्त्री शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए—

6 से 14 आयु वर्ग के सभी लड़के—लड़कियों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, तथा 11 से 14 आयु वर्ग की लड़कियों के लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

लड़कियों के लिए अलग से माध्यमिक स्कूल एवं महिला महाविद्यालय खोले जाएँ।

माध्यमिक स्तर पर लड़कियों को छात्रावास और सवारी की सुविधा प्रदान की जाए तथा विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए।

लड़कियों के लिए अलग से व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

लड़कियों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए जनमानस तैयार किया जाए।

अशिक्षित प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनके लिए अलग से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले जाए। कोठारी आयोग के सुझाव प्राप्त करने के बाद 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इस नीति में स्त्री शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन पर बल दिया गया। 1969 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) शुरू हुई। 19670 में बिन्दुओं पर विशेष बल दिया—

1. केन्द्रीय सरकार स्त्री शिक्षा के लिए अलग से पर्याप्त धनराशि निश्चित करें।
2. स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाए जाएँ।
3. इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों को प्रोत्साहित करें, उन्हें आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराए।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अध्यापिकाओं को प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें अतिरिक्त भत्ता और सुविधाएँ दी जाएँ अतः चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं को विशेष भत्ता देने और उन्हें आवास सुविधा प्रदान करने का कार्य शुरू किया गया। आँकड़े बताते हैं कि 1971 में हमारे देश में छात्राओं की संख्या 1961 की लगभग 140 लाख से बढ़कर लगभग 280 लाख, ठीक दुगुनी हो गई थी।

1974 में पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79) शुरू हुई। 1975 के वर्ष को यूनेस्को (नचैम्ब) ने महिला वर्ष के रूप में मनाया। इस वर्ष हमारे देश में भी महिला कल्याण की अनेक योजनाएँ शुरू की गईं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना उनके लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने की थी। इस योजना के अन्तर्गत स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किए गए और साथ ही महिला अध्यापिकाओं की पूर्ति के लिए प्रयास किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्राथमिक शिक्षा की प्रथम वरियता दी गई और प्रौढ़ शिक्षा की द्वितीय। इसमें लड़के—लड़कियों और प्रौढ़ स्त्री—पुरुषों सबको साक्षर बनाने और उन्हें सामान्य शिक्षा देने पर बल दिया गया। अभी इस शिक्षा नीति के अनुसार कार्य शुरू ही हुआ था कि केन्द्र में जनता दल के स्थान पर पुनः राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार सत्तारूढ़ हो गई। उसने पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुपालन पर बल दिया और परिणामस्वरूप छठीपंचवर्षीय योजना (1980-85) में स्त्री शिक्षा का प्रसार कार्य जारी रहा। आँकड़े बताते हैं कि 1971 में जहाँ हमारे देश में लगभग 280 लाख छात्राएँ अध्ययनरत थी वहाँ 1981 में इनकी संख्या बढ़ कर लगभग 400 लाख हो गई। उसी बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या कर दी गई। राष्ट्रव्यापी बहस शुरू की, तभी 1985 में सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) शुरू हो गई। 1986 में सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। इस नीति में स्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई कि अब स्त्री पुरुष की शिक्षा में कोई अन्तर नहीं होगा। स्त्री—पुरुष सभी को शिक्षा की समान सुविधाएं प्रदान की जायेंगी और इस हेतु स्त्री शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस शिक्षा नीति के साथ इसकी एक कार्य योजना (POA) भी बनाई गई जिसके अनुसार हर क्षेत्र में कार्य शुरू किए गए, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी। स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए जो कदम उठाए गए उनमें उल्लेखनीय कदम है— जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (District Primary Education Programme) यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन जिलों में शुरू किया गया



जिनमें स्त्री साक्षरता प्रतिशत बहुत कम था। बालिका निरौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को 90 प्रतिशत अनुदान देना शुरू किया गया। बालिका माध्यमिक विद्यालय वहाँ खोले गए जहाँ इनका एकदम अभाव था। केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण किया गया और उनकी शिक्षा निःशुल्क की गई। महिलाओं के लिए +2 पर नए-नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए और उनके लिए अलग से पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्र खोलने हेतु सहायता देना शुरू किया। 1989 में 'महिला समारख्या कार्यक्रम' (डीपसँ उीलं च्त्वहतंतउउम) शुरू किया गया। इस समय यह 8 प्रान्तों- उ०प्र०, गुजरात, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, बिहार आसाम और मध्य प्रदेश के 51 जिलों के 6877 गाँवों में चलाया जा रहा है। इसके द्वारा किशोर बालिकाओं और प्रौढ़ स्त्रियों को शिक्षा की ओर आकर्षित किया जा रहा है। जहाँ तक स्त्री शिक्षा की प्रगति की बात है यह 80-90 के दशक में भी 70-80 के दशक की गति की तरह हुई। 1981 में जहाँ देश में लगभग 4 करोड़ बालिकाएँ अध्ययनरत थी वहाँ 1991 में इनकी संख्या बढ़कर लगभग 6.2 करोड़ हो गई।

1992 में आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) शुरू हुई। इस योजना के दौरान स्त्री शिक्षा के प्रसार के सभी कार्यक्रम चालू रहे। इस दौरान जो विशेष कार्य किए गए उनमें दो कार्य मुख्य हैं- एक यह कि माध्यमिक एवं उच्च यह कि इन छात्रावासों को 1500 रु० प्रति छात्रा के हिसाब से फर्नीचर, बर्तन, मनोरंजन एवं खेल-कूद सामग्री और वाचनालय व्यवस्था हेतु अनुदान दिया गया और 5000रु० प्रति छात्रा योजन सामग्री एवं भोजन व्यवस्था करने वाले कुक एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन हेतु अनुदान दिया गया।

नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के अन्तर्गत 22 से 24 अक्टूबर, 1998 में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास (HRD) मन्त्री डॉ० मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता में राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों और शिक्षा सचिवों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में प्राथमिक स्तर की शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का संकल्प दोहराया गया और बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया। इस सरकार ने महिलाओं के लिए स्नातक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क करने की घोषणा भी की। कुछ प्रान्तीय सरकारों ने यह कर भी दिखाया।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के अन्तर्गत सर्व

शिक्षा अभियान के तहत स्त्री शिक्षा को और अधिक बल मिला जिसके परिणामस्वरूप महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई।

स्वतन्त्र भारत में स्त्री शिक्षा के विकास को एक नजर में निम्न तालिका में देखा व समझा जा सकता है:-

स्त्री साक्षरता दरों में विकास (1951 से 2011)

जनगणना वर्ष	कुल दर	पुरुष	महिल	पुरुष-महिला दर में अन्तर
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.40	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.98
1981	43.57	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.13	36.29	24.84
2001	64.83	75.26	53.67	21.59
2011	74.04	82.14	65.46	16.68

Source: Census 2011

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि हाल ही में हुई जनगणना के आँकड़ों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्री शिक्षा की दर में निरन्तर वृद्धि हो रही है हालांकि यह वृद्धि उतनी नहीं है जितनी की अपेक्षित है परन्तु फिर भी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उचित ईमानदारी लाकर हम स्त्री साक्षरता को शत प्रतिशत बना सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. त्रिपाठी, शालिग्राम 'भारतीय शिक्षा का इतिहास' राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली (1999)।
2. लाल, रमन बिहारी, 'भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ' रास्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ (2003)।
3. कुमार, धर्मेन्द्र, 'भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास' आर०लाल० बुक डिपो, मेरठ (2009)।
4. भारत 2008, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। शैक्षिक आंकड़े 2009-10, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार। अग्रवाल, जे०सी०, 'भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास' शिप्रा पब्लिकेशन्स, दिल्ली (2010)।
5. पाठक, पी०डी०, 'भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ', विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा (2011)।
6. प्रथम से दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के प्रतिवेदन। नई शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन।
7. Mukerji, S.N, 'Education in India, today and tomorrow. Acharya Book Depot. Baroda.
8. Nurullah, S & Naik, J.P., 'A History of Education in Indian. Macmillan, Bombay.
